न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 06/2015 (प्रा.प. निगरानी पंचायत)
RCMS No: 2012/00011

अनवान

1. श्री नरेश मेघवाल पिता भेरूलाल मेघवाल, निवासी मेघवाल बस्ती, ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)

– प्रार्थी / निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्रीमती दीपिका मेघवाल पत्नि बसन्त कुमार मेघवाल, निवासी मेघवाल बस्ती, ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत ऋषभदेव, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री रोशनलाल जैन, अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
2. श्री अरूण जैन, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994
विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत ऋषभदेव, पंचायत समिति ऋषभदेव, दिनांक 01.03.2004

* निर्णय *

दिनांक– 08-11-2017

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता श्री नरेश मेघवाल पिता भेरूलाल मेघवाल द्वारा यह निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा जारी पट्टा दिनांक 01.03.2004 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की है कि निगरानीकर्ता के पिता ने दिनांक 07.02.1998 को अपने मकान के पीछे स्थित भूमि को 10000रू. मे जरिये इकरारनामा क्रय किया है, जिसे बाद मे वाउण्ड्रीवाल के जरिये सुरक्षित किया हैं। बाद मे उक्त भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व की होने की जानकारी होने पर निगरानीकर्ता के पिता श्री भेरूलाल ने निगरानीकर्ता के भाई श्री हरिश कुमार मेघवाल के नाम से नियमानुसार राशि जमा कराकर पट्टा प्राप्त किया हैं, जिसके पूर्व मे सी.सी.रोड़, पश्चिम मे नदी, उत्तर मे लालूराम मेघवाल का मकान एवं दक्षिण मे रमेश मेघवाल का भूखण्ड़ स्थित हैं। उसी भूखण्ड़ पर ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा बिना किसी आधार के विपक्षी संख्या 1 को मात्र 1500रू. मे पुरानी तारीख मे दिनांक 01.03.2004 को पट्टा जारी कर दिया, जबकि विपक्षी संख्या 1 का मौके पर किसी प्रकार का कब्जा एवं आधिपत्य नहीं हैं। उक्त पट्टे का 6 वर्ष बाद वर्तमान सचिव द्वारा पंजीयन कराया गया, जिसमे विपक्षी संख्या 1 श्रीमती दीपिका को बी.पी.एल. मानकर रियायती दर पर भूखण्ड़ दिया जाना बताया गया है, जबकि विपक्षी संख्या 1 को दिये गये पट्टे, मिसल आदि मे विपक्षी संख्या 1 को बी.पी.एल. के आधार पर रियायती दर पर पट्टा जारी करने का

इन्द्राज नहीं किया गया हैं। विपक्षी संख्या 1 बी.पी.एल. मे होने का नाजायज फायदा उठा इन्दिरा आवास हेतु 25000रू. प्राप्त किये है एवं आवास का निर्माण नहीं किया गया हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा अपने ससुर के वार्ड पंच होने का फायदा उठाकर फर्जी तरीके से गलत पट्टा प्राप्त किया हैं। विपक्षी संख्या 1 के पति के दो नाम बसन्त कुमार एवं बाबूलाल है एवं दोनो व्यक्तियों के नाम से ग्राम पंचायत से कई फर्जी पट्टे इनके द्वारा प्राप्त किये गये हैं। विपक्षी संख्या 1 के पति के नाम के दो पासपोर्ट बने होकर पति कुवेत मे नौकरी करता हैं, इसके बावजूद भी बी.पी.एल. मे हैं। निगरानीकर्ता के पिता ने वर्ष 1998 मे कब्जा 10000रू. मे प्राप्त किया हैं। उसी भूखण्ड़ पर विपक्षी संख्या 1 को नियमों के विपरित 1000वर्गफीट भूमि का पट्टा फर्जी तरीके से जारी किया गया हैं। विपक्षी संख्या 1 को बिना किसी विधिक कार्यवाही के विपक्षी संख्या 2 द्वारा पट्टा जारी किया गया है। उक्त भूमि घनी आबादी मे स्थित है। ग्राम पंचायत द्वारा घनी आबादी की डी.एल.सी. रेट के विपरित मात्र 1500रू. मे उक्त पट्टा जारी किया है, जो काबिल निरस्त हैं। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे जारी पट्टा दिनांक 01.03.2004 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 श्रीमती दीपिका मेघवाल की ओर से अधिवक्ता श्री अरूण जैन द्वारा वकालातनामा पेश कर प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा जिस भूखण्ड़ को क्रय करना बताया गया है, वह पूर्णतया सत्यता से परे हैं। विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा पूर्णतया विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुए विपक्षी संख्या 1 को उक्त भूखण्ड़ का आवंटन किया हैं एवं कब्जा सुपुर्द किया है। तत्पश्चात् उक्त पट्टे का ग्राम पंचायत द्वारा पंजीयन भी करवाया गया हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा सरकारी योजना के तहत मिलने वाले अनुदान हेतु आवेदन किया व भूखण्ड़ के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज पेश किये। तत्पश्चात् ही सरकार योजना से 25000रू. की राशि प्राप्त कर अपने आधिपत्य के भूखण्ड़ पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया। निगरानीकर्ता के भाई का पट्टा अवैधानिक है व उस पर गिरफ्तारी होना शेष है। निगरानीकर्ता फर्जी दस्तावेज के आधार पर विपक्षी संख्या 1 की भूमि को हड़पना चाहता हैं। जहां तक बी.पी.एल. एवं मतदाता सूची का प्रश्न है, यह राज्य सरकार द्वारा मनोनित सरकारी व्यक्तियों द्वारा बनायी एवं अनुमोदित की जाती है एवं राजकीय आदेशो के अनुसार ही सारी प्रक्रिया सम्पादित की जाती हैं। जहां तक फर्जी पासपोर्ट का प्रश्न है, विपक्षी संख्या 1 के पति द्वारा किसी भी प्रकार का फर्जी पासपोर्ट नहीं बनाया गया है। इस हेतु एक जांच पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना ऋषभदेव को दी गई, जिसमे थाना ऋषभदेव द्वारा सम्पूर्ण जांच मे फर्जी पासपोर्ट के तथ्य को झुठला दिया हैं। निगरानीकर्ता का यह कथन भी उचित नही है कि कोई व्यक्ति बी.पी.एल. है तो वह अच्छी तालीम प्राप्त नहीं कर सकता हो। निगरानीकर्ता द्वारा उक्त भू खण्ड़ अपने भाई के नाम जारी होना बताया है, उसका कोई रेकर्ड ग्राम पंचायत के पास मौजुद नहीं हैं। निगरानीकर्ता श्री नरेश मेघवाल द्वारा जिस भूखण्ड़ की निगरानी प्रस्तुत की गई है, उससे नरेश मेघवाल का कोई सरोकार नहीं है एवं न ही उसके नाम पर कोई दस्तावेज अस्तित्व

मे हैं। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी को सव्यय खारिज करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण मे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर से जांच रिपोर्ट मंगवायी गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफ.( )जिपउ/पंचायत/जांच/2014/492 दिनांक 05.02.2014 द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के साथ पट्टे की प्रति एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की प्रमाणित प्रति मय दस्तावेज किये व निष्कर्ष मे न्यायालय को अवगत कराया है कि श्री हरिश कुमार मेघवाल पुत्र श्री भेरूलाल मेघवाल के नाम का प्रस्तुत पट्टा (भूमि विक्रय विलेख) ग्राम पंचायत कार्यालय से जारी होना नहीं पाया गया हैं। इसके संबंध मे ग्राम पंचायत कार्यालय मे रेकर्ड उपलब्ध न होने से पट्टा निरस्त योग्य है। इसके अतिरिक्त विपक्षी संख्या 1 श्रीमती दीपिका मेघवाल पत्नि बसन्त कुमार मेघवाल को ग्राम पंचायत कार्यालय द्वारा विधिसम्मत मिसल संधारित न कर पट्टा जारी किया जाना प्रतीत होता है। आपसी बातचीत द्वारा भूमि विक्रय मे तत्कालीन डी.एल.सी. दर से राशि जमा न लेकर मात्र 1500रू. जमा कर पट्टा जारी किया गया है, जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के नियम 156(2) के प्रावधानों का उल्लंघन होने से पट्टा निरस्त योग्य हैं।

प्रकरण मे जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर से दीपिका मेघवाल के पति के नाम दो नाम से जारी पासपोर्ट के संबंध मे जांच रिपोर्ट मंगवायी गई। जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक प–6( ) उदय–अप/डी.एम./14/205–88 दिनांक 16.01.2015 द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट मे न्यायालय को अवगत कराया है कि थानाधिकारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट व अनुसंधान से श्री बसन्त कुमार व बाबूलाल के नाम से एक ही व्यक्ति द्वारा दो पासपोर्ट जारी करने संबंधी किसी तथ्य का खुलासा नहीं हुआ हैं।

प्रकरण मे रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय से उभय पक्ष के नाम जारी पट्टो से संबंधित पत्रावली मंगवायी जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गई। ग्राम पंचायत द्वारा अपने पत्र क्रमांक 247/012 दिनांक 28.01.2013 द्वारा विपक्षी संख्या 1 श्रीमती दीपिका मेघवाल को जारी पट्टे से संबंधित पत्रावली की प्रमाणित प्रति न्यायालय को प्रस्तुत की एवं निगरानीकर्ता के भाई श्री हरिश मेघवाल को जारी पट्टे से संबंधित कोई मिसल उपलब्ध नहीं होना अवगत कराया।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए, जिन्होने क्रमशः अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब मे वर्णित तथ्यों को दोहराया। हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध निगरानीकर्ता के निगरानी प्रार्थना पत्र, विपक्षी संख्या 1 के जवाब, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर व जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर की जांच रिपोर्ट, पट्टे से संबंधित पत्रावली की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया व वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया, जिससे यह ज्ञात होता है कि निगरानीकर्ता श्री नरेश मेघवाल द्वारा विपक्षी संख्या 1 श्रीमती दीपिका मेघवाल को दिनांक 01.03.2004 को जारी पट्टे को निरस्त किये जाने बाबत् यह निगरानी पेश की है, जिसमे उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष निवेदन किया है कि निगरानीकर्ता के पिता ने दिनांक 07.02.1998 को अपने मकान के पीछे स्थित भूमि को 10000रू. मे जरिये

इकरारनामा क्रय किया है व उक्त भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व की होने की जानकारी होने पर निगरानीकर्ता के पिता श्री भेरूलाल ने निगरानीकर्ता के भाई श्री हरिश कुमार मेघवाल के नाम से नियमानुसार राशि जमा कराकर पट्टा प्राप्त किया हैं व उसी भूखण्ड़ पर ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा बिना किसी आधार के विपक्षी संख्या 1 को मात्र 1500रू. मे पुरानी तारीख मे दिनांक 01.03.2004 को पट्टा जारी कर दिया, जबकि विपक्षी संख्या 1 का मौके पर किसी प्रकार का कब्जा एवं आधिपत्य नहीं हैं। निगरानीकर्ता के भाई श्री हरिश मेघवाल के नाम जारी पट्टे के संबंध मे यह तथ्य उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत उसके भाई के नाम के पट्टे की प्रति मे न तो कहीं पर पट्टा क्रमांक उपलब्ध है, न ही पट्टे से संबंधित कोई मिसल आदि ग्राम पंचायत के रेकर्ड मे उपलब्ध है, न ही निगरानीकर्ता द्वारा पट्टे के ऐवज मे 10000रू. पंचायत रेकर्ड मे जमा होना उपलब्ध है एवं न ही उक्त पट्टा पंजीकृत अथवा रजिस्टर्ड है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी से प्राप्त जांच रिपोर्ट मे भी यह तथ्य स्पष्ट अंकित है कि श्री हरिश कुमार मेघवाल पुत्र श्री भेरूलाल मेघवाल के नाम का प्रस्तुत पट्टा (भूमि विक्रय विलेख) ग्राम पंचायत कार्यालय से जारी होना नहीं पाया गया हैं। इसके संबंध मे ग्राम पंचायत कार्यालय मे रेकर्ड उपलब्ध न होने से पट्टा निरस्त योग्य है। ऐसी स्थिति मे सर्वप्रथम हम निगरानीकर्ता के भाई श्री हरिश मेघवाल के पक्ष मे जारी पट्टे (आबादी भूमि के विक्रय विलेख) को निरस्त किया जाना उचित समझते है। इसके विपरित जहां तक विपक्षी संख्या 1 श्रीमती दीपिका मेघवाल के पक्ष मे जारी पट्टे का प्रश्न है, उक्त रेकर्ड की पत्रावली ग्राम पंचायत मे उपलब्ध है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर के अनुसार विपक्षी संख्या 1 के नाम जारी पट्टे की मिसल संख्या 101/03 संधारित होना, निर्णयानुसार राशि 1500रू. रसीद संख्या 84/1270/ 20.01.2004 से जमा होना पाया गया हैं। विपक्षी संख्या 1 श्रीमती दीपिका द्वारा ग्राम पंचायत मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज के आधार पर पट्टे को श्रीमती दीपिका पत्नि बसन्त कुमार के नाम से संशोधन करा दिनांक 25.05.2011 को पंजीयन कराया हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद उदयपुर की जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष मे यह उल्लेख किया गया है कि ''श्रीमती दीपिका मेघवाल पत्नि बसन्त कुमार मेघवाल को ग्राम पंचायत कार्यालय द्वारा विधिसम्मत मिसल संधारित न कर पट्टा जारी किया जाना प्रतीत होता है। आपसी बातचीत द्वारा भूमि विक्रय मे तत्कालीन डी.एल.सी. दर से राशि जमा न लेकर मात्र 1500रू. जमा कर पट्टा जारी किया गया है, जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के नियम 156(2) के प्रावधानों का उल्लंघन होने से पट्टा निरस्त योग्य हैं।'' विपक्षी संख्या 1 श्रीमती दीपिका मेघवाल के नाम जारी पट्टे के संबंध मे यह उल्लेखनीय है कि नियमानुसार शुल्क जमा करना, विधिवत मिसल संधारित करना, कोरम मे रखना, विधिवत रेकर्ड संधारित करना यह समस्त उत्तरदायित्व पट्टा प्राप्तकर्ता का न होकर ग्राम पंचायत कार्यालय का है। विपक्षी संख्या 1 श्रीमति दीपिका मेघवान को पट्टा विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा ही जारी किया गया है, इसकी पुष्टि जांच रिपोर्ट एवं उपलब्ध दस्तावेजों से होती है। ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा नियमानुसार शुल्क जमा न करना, विधिवत मिसल संधारित न करना, कोरम मे न रखना, विधिवत रेकर्ड संधारित न करना आदि को आधार बनाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे जारी पट्टे को निरस्त करना हम उचित

नहीं समझते हैं। जहां तक बी.पी.एल., मतदाता सूची व पासपोर्ट का प्रश्न है, यह अलग विषय है एवं इसका निगरानी, अन्तर्गत 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 से कोई संबंध नहीं हैं।

अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा निगरानीकर्ता के भाई श्री हरिश कुमार मेघवाल के पक्ष मे जारी पट्टे का रेकर्ड ग्राम पंचायत मे उपलब्ध न होने से उक्त पट्टे को निरस्त किया जाता है। साथ ही विपक्षी संख्या 2 ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा विपक्षी संख्या 1 दीपिका मेघवाल के पक्ष मे जारी पट्टा दिनांक 01.03.2004 को यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(छोगाराम देवासी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर